

**कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून**  
**जनपद – देहरादून**

पत्रांक

दिनांक –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः—

दिनांक 17.11.17 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है। वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.96 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.96 है। आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रीवर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, ..... देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

( )  
**जिला समाज कल्याण अधिकारी**  
**देहरादून**


( )  
**प्रभागीय वनाधिकारी**  
**चक्रवर्ती वन प्रभाग, चक्रवर्ती।**

( )  
**जिलाधिकारी**  
**देहरादून**  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**देहरादून**

प०स०..... / दिनांक

प्रतिलिपि – .....  
सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

को  
**जिलाधिकारी**  
**देहरादून।**  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**देहरादून**



कार्यालय – उप जिलाधिकारी, कालसी देहरादून  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी, देहरादून

उपखण्ड कालसी, देहरादून परिक्षेत्र के चक्राता वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील – ) की दिनांक ५/११/२०८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री इंद्रेश कुशार तिवारी उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री इंद्रेश कुशार तिवारी उप जिलाधिकारी कालसी अध्यक्ष
2. श्री अमृत बोध कालसी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री रमेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
4. श्री दिल्लु बहादुर गोडी सी ०३० क्षेत्र कालसी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए कालसी अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चक्राता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का हेतु संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधिक को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चक्राता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति


तहसील ..... / जनपद- .....  
प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

## उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चक्राता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM ) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ॲप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की पत्र सं 11-9 / 98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सङ्क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.96 है। वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

/प्रयोक्ता

  
उप जिलाधिकारी

